पत्र संख्या–11/आ0नी0–II–02/2015 सा0प्र0 10163
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना।
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना।
निबंधक, महाधिवक्ता, बिहार का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना।
सचिव, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना।

पटना–15, दिनांक 14.7.15

विषय :– भारत सरकार द्वारा बिहार हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित Dhangar (Oraon) का हिन्दी रूपांतरण परिचारित करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्री ज्ञानेन्द्र पाल, अध्यक्ष, धनगर महासभा, धनगर भवन, शेरशाह पथ, त्रिपोलिया, पटना द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की सूची का हिन्दी रूपांतरण परिचारित नहीं रहने के कारण संबंधित पदाधिकारियों द्वारा **Dhangar** शब्द का विभिन्न प्रकार से हिन्दी रूपांतरण किया जा रहा है, जिससे उक्त समुदाय के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अन्य सुविधाएँ प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

अतः माँग की गई है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–225 दिनांक–16.01.2007, जिसके द्वारा बिहार हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची प्रकाशित की गई है, के क्रमांक–26 पर स्थित **Dhangar (Oraon)** का हिन्दी रूपांतरण परिचारित किया जाय।

इस संदर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग से आधिकारिक हिन्दी अनुवाद की माँग की गई, जिसके संदर्भ में उक्त विभाग के पत्रांक–371 दिनांक–30.06.2015 द्वारा **Dhangar (Oraon)** का हिन्दी अनुवाद **धांगर/धनगर (उराँव)** प्रतिवेदित किया गया है।

मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग से प्राप्त उक्त आधिकारिक हिन्दी अनुवाद के आलोक में निदेश दिया जाता है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या–225 दिनांक–16.01.2007 के क्रमांक–26 पर स्थित **Dhangar (Oraon)** का हिन्दी रूपांतरण **धांगर/धनगर (उराँव)** पढ़ा जाय। साथ ही संबंधित सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि उक्त जाति के सदस्यों को नियमानुसार **Dhangar (Oraon) धांगर/धनगर (उराँव)** अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण–पत्र एवं अनुसूचित जनजाति को देय अन्य सुविधाएँ सुगमता पूर्वक प्राप्त होने की कार्रवाई सुनिश्चित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(राजेन्द्र राम) 14.7.2015

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0–II–02/2015 सा0प्र0 10163 पटना–15, दिनांक– 14.7.15

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना/सभी विश्वविद्यालय/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उच्च जातियों के लिए राज्य आयोग/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव। 14.7.2015